



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425-254988(का.)

e-mail Id : comptroller@sknau.ac.in

रामधन रैगर
वित्त नियंत्रक

क्रमांक : एफ.3/श्रीकनकृवि/एफ(109)/वि.नि./2018-19/4792

दिनांक : 25.01.2019

श्रीमान्
.....
.....

विषय :- वैधानिक अंकेक्षक के पैनेल के सम्बन्ध में।

महोदय

उपयुक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि विश्वविद्यालय के लिए वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जानी है। कृपया आपकी फर्म का नवीनतम बायोडेटा मय (अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में 03 वर्ष तक किए गए अंकेक्षण कार्य सहित) संलग्न कर प्रेषित कराएँ। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आप द्वारा अपेक्षित अंकेक्षक शुल्क का विवरण भी निम्न प्रारूप में प्रेषित करें :

क. सं.	कार्य का नाम	अपेक्षित/प्रस्तावित अंकेक्षण शुल्क राशि (₹में)
1	विश्वविद्यालय के वार्षिक अंतिम लेखों के प्रमाणीकरण हेतु एक मुश्त पारिश्रमिक वार्षिक अंतिम लेखों प्रमाणीकरण की वर्तमान दर ₹ 5,000/- प्रतिवर्ष	

इसके अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त कोष एवं उनके उपयोग के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण के लिए प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र निम्नानुसार दर से पारिश्रमिक अतिरिक्त देय है :

उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि (₹ में)			
1 लाख तक	1 लाख से अधिक किन्तु 5 लाख तक	5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख तक	10 लाख से अधिक
175.00	350.00	375.00	425.00
आप द्वारा अपेक्षित/प्रस्तावित दर राशि (₹ में)			

क. सं.	कार्य का नाम	अपेक्षित/प्रस्तावित अंकेक्षण शुल्क राशि (₹में)
1	फार्म नम्बर 16 जारी करना, तिमाही एवं वार्षिक रिटर्न भरना	

सम्बन्धित वैधानिक अंकेक्षक को विश्वविद्यालय के आयकर, सेवाकर आदि मसलों पर भी परामर्श/कार्यवाही यथा आवश्यक प्रमाण पत्र आदि देना होगा।


यात्रा भत्ता राज्य सरकार के कॉर्मिकों को देय नियमों के अनुसार सहायक प्राध्यापक के न्यूनतम वेतनमान पर प्रभावी दर से देय होगा। स्थानीय यात्रा के लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा। सेवा कर पृथक से देय होगा अतः नवीनतम बायोडेटा मय स्वायत्तशासी संस्थाओं में किए गए अंकेक्षण के प्रमाण सहित प्रस्ताव दिनांक 13.02.2019 सायं 4:00 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित कराएँ। अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

भवदीय

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।


वित्त नियंत्रक